



बोर्ड विविधता पर नीति

विषयसूची

1. परिचय.....	2
2. उद्देश्य	2
3. नीतिकथन	2
4. की समीक्षानीति.....	2
5. का खुलासानीति	2



परिचय:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 19 के संदर्भ में और उक्त विनियम के भाग डी, अनुसूची II के तहत, एक बोर्ड विविधता नीति तैयार की जानी है, और बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित की जानी है। निदेशक (एनआरसी)।

उद्देश्य

बोर्ड विविधता नीति ('नीति') इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ('बोर्ड') के निदेशक मंडल में विविधता के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है।

नीति वक्तव्य

1. कंपनी संरचना में विविधता के साथ निदेशक मंडल के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को पहचानती है।
2. एनआरसी और बोर्ड, नियुक्ति के लिए व्यक्ति(यों) की उम्मीदवारी पर विचार करेंगे उम्र, नस्ल, जाति, धर्म, विकलांगता, लिंग या वैवाहिक स्थिति के बावजूद निदेशक के रूप में; और अंत में बोर्ड में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का चयन शैक्षिक योग्यता, कार्यात्मक विशेषज्ञता/विशेषज्ञता, कौशल-सेट और उद्योग अनुभव में योग्यता के आधार पर करें।
3. बोर्ड अपने बोर्ड में निदेशक के रूप में कम से कम एक महिला की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा।

नीति की समीक्षा

समिति समय-समय पर नीति की समीक्षा कर सकती है, जिसमें नीति की प्रभावशीलता का आकलन शामिल होगा। समिति किसी भी आवश्यक संशोधन पर चर्चा करेगी और ऐसे किसी भी संशोधन पर विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगी।

नीति का खुलासा

यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। पॉलिसी के बारे में आवश्यक खुलासा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार भी किया जाएगा।